

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म0प्र0)

// विविध—आदेश //

क्रमांक/एक-15-20 / 16
(कार्य.वि.-2023)

शिवपुरी, दि 0 14 / 08 / 2023

अ— मैं, दीपक गुप्ता, प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्यवहारिक कार्य विभाजन संबंधी पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, व्यवहार मण्डल शिवपुरी में पदस्थ प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीशों के मध्य व्यवहारिक (सिविल) कार्य का विभाजन निम्नानुसार करता हूँ :—

यह आदेश दिनांक 16.08.2023 से अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।

इस कार्य विभाजन आदेश के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं मामले जिस न्यायालय के न्यायाधीश के पास लंबित हैं, या प्रस्तुत हुए हैं, उन पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।

क्र ं .1	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
	2	3	4
	(श्री दीपक गुप्ता) प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी	सिविल जिला शिवपुरी	<p>(1) मध्य प्रदेश नगर पालिका/नगर पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली चुनाव याचिका एवं पुनरीक्षण आवेदन।</p> <p>(2) म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 6 तथा भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत संस्थित वाद।</p> <p>(3) वे सभी सिविल वाद, अपील एवं याचिकायें जिनमें केन्द्रीय शासन के अधिनियम द्वारा क्षेत्राधिकार दिया गया हो या जो अन्य किसी न्यायाधीश को इस कार्य विभाजन के जरिये नहीं सौंपे गये हों।</p> <p>(4) मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत, आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात, फिजीकल, कोलारस, इंदार, रन्नौद, तेंदुआ एवं बदरवास के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत समस्त मृत्यु संबंधी क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियाँ।</p> <p>(5) शिवपुरी मुख्यालय पर पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं समस्त प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय शिवपुरी के द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेश से उत्पन्न नियमित एवं प्रकीर्ण सिविल अपीलें।</p> <p>(6) तहसील कोलारस एवं पोहरी में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेश से उत्पन्न नियमित एवं प्रकीर्ण सिविल अपीलें।</p> <p>(7) म0प्र0 शासन विधि एवं विद्यायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 15.12.2022 के माध्यम से विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 20(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन सिविल जिला शिवपुरी की स्थानीय सीमाओं के संबंध में, अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले।</p>

— 2 —

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
1	2	3	4
2	(श्री अजय कुमार सिंह) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी	—	(1) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) सिविल मामले जो समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें।
3	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	—	(1) सिविल मामले जो समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।
4	(श्रीमती दीपाली शर्मा) द्वितीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी	—	(1) सिविल मामले जो समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।
5	तृतीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी	—	“रिक्त न्यायालय”
6	(श्री रामविलास गुप्ता) चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी	शिवपुरी, कोलारस, बद्रवास एवं पोहरी, बैराड तहसील	(1) सिविल मामले जो समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (3) नोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात, फिजीकल, कोलारस, इंदार, रन्नौद, तेंदुआ एवं बद्रवास के क्षेत्राधिकार में उद्भूत मृत्यु संबंधी क्लेम प्रकरण छोड़कर समस्त क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां। (4) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रोबेट या प्रशासन पत्र संबंधी मामले (भाग—10 को छोड़कर)। (5) प्रोविन्शियल इन्सॉल्वेंसी एकट 1920 के अंतर्गत मामले जिनका मूल्यांकन रूपये 50,000—00 से अधिक हो।
7	(श्री विवेक पटेल) पंचम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी, कोलारस, बद्रवास एवं पोहरी, बैराड	(1) सिविल मामले जो समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (3) भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत प्रकरण। (4) हिन्दू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रकरण।

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
1	2	3	4
			<p>(5) मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत, आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा, सतनवाड़ा, गोपालपुर, बम्हारी, सुरवाया, सिरसौद, पोहरी, बैराड़, छर्च, गोवर्धन के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत समस्त मृत्यु संबंधी क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>(6) माननीय उच्चतम न्यायालय की एस.एल.पी. नम्बर 11801-11804 / 2005 जयप्रकाश विरुद्ध मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय एफ.ए.ओ./ 842/2013 राजेश त्यागी विरुद्ध जयवीर आदि न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में जिला मुख्यालय, शिवपुरी पर अधिकृत न्यायाधीश।</p> <p>(7) को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण याचिका।</p> <p>(8) लघुवाद जिनका मूल्य रुपये 500/- से ऊपर परन्तु रुपये 1000/- से अधिक न हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण वाद।</p> <p>(9) जिला मुख्यालय शिवपुरी पर पूर्व में पदस्थ रहे जिला न्यायाधीश/प्रशिक्षु जिला न्यायाधीश, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां तथा क्लेम प्रकरणों के भुगतान संबंधी कार्यवाहियां।</p> <p>(10) अन्य न्यायालयों से डिक्टी के निष्पादन हेतु अंतरण पर प्राप्त प्रकरण।</p>
8	षष्ठम् जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	—	“रिक्त न्यायालय”
9	(श्री अमित कुमार गुप्ता) सप्तम् जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, एवं पोहरी, बैराड़	<p>(1) रुपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक मूल्यांकन के सिविल वाद तथा उनसे उत्पन्न प्रकीर्ण सिविल वाद एवं प्रवर्तन मामले जो शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, पोहरी एवं बैराड़ तहसील के हों।</p> <p>(2) मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत, आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा, सतनवाड़ा, गोपालपुर, बम्हारी, सुरवाया, सिरसौद, पोहरी, बैराड़, छर्च, गोवर्धन के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत मृत्यु संबंधी क्लेम प्रकरणों को छोड़कर समस्त क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>(3) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>(4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p>

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
1	2	3	4
10	(श्री रमेश कुमार मुरारी लाल भगवती) जिला न्यायाधीश पिछोर	तहसील पिछोर एवं खनियाधाना	<p>(5) म0प्र0 रियल एस्टेट रेग्यूलेशन ट्रिब्यूनल भोपाल के न्यायनिर्णीत करने वाले अधिकारी, प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के निष्पादन संबंधी मामले।</p> <p>(6) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत फाइल होने वाले रेफरेंस।</p> <p>(7) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत फाइल होने वाले रेफरेंस।</p> <p>(8) आर्बाट्रेशन एप्ड कॉसिलिएशन एकट-1996 के अंतर्गत तहसील शिवपुरी, कोलारस, पोहरी, बदरवास और बैराड़ क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार के बाहर हों एवं अन्यथा बाधित न हों।</p>
11	(श्री हरिओम अतलसिया) अति जिला न्यायाधीश पिछोर	तहसील पिछोर एवं खनियाधाना	<p>(1) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>(2) हिन्दू दत्तक भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>(3) हिन्दू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>(4) तहसील पिछोर एवं खनियाधाना में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेश से उत्पन्न नियमित एवं प्रकीर्ण सिविल अपीलें।</p> <p>(5) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(1) रूपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रूपये) से अधिक मूल्यांकन के सिविल वाद तथा इनसे उत्पन्न प्रकीर्ण वाद एवं प्रवर्तन मामले।</p> <p>(2) तहसील पिछोर एवं खनियाधाना में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेश से उत्पन्न नियमित एवं प्रकीर्ण सिविल अपीलें।</p> <p>(3) हिन्दू विवाह अधिनियम तथा मुस्लिम विधि, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत संस्थित मामले जो तहसील पिछोर एवं तहसील खनियाधाना क्षेत्र से उद्भूत हों।</p> <p>(4) मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र पिछोर, भौंती, मायापुर, बामौरकलां एवं खनियाधाना के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत समस्त क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>(5) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(6) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>(7) को-ऑपरेटिव सोसायटी एकट के अंतर्गत प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण।</p>

— 5 —

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
			<p>(8) गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली कार्यवाहियां/वाद।</p> <p>(9) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रोबेट या प्रशासन पत्र संबंधी मामले (भाग-10 को छोड़कर)।</p> <p>(10) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत फाइल होने वाले रेफरेंस।</p> <p>(11) आर्बाट्रेशन एण्ड कॉसिलिएशन एक्ट-1996 के अंतर्गत तहसील पिछोर एवं खनियांधाना क्षेत्र के उद्भुत वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्भित द्रिब्धूनल के क्षेत्राधिकार के बाहर हों एवं अन्यथा बाधित न हों।</p> <p>(12) लघुवाद जिनका मूल्य रुपये 500 से अधिक परन्तु रुपये 1000 से अधिक न हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण सिविल वाद/कार्यवाहियां।</p> <p>(13) प्रोविन्शियल इन्सोल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत प्रकरण जिनका मूल्यांकन रु 50,000-00 से अधिक है।</p> <p>(14) तहसील पिछोर पर पदस्थ रहे जिला न्यायाधीश, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां तथा क्लेम प्रकरणों के भुगतान संबंधी कार्यवाहियां।</p>
12	(श्री प्रदीप कुशवाह) प्रथम जिला न्यायाधीश, करैरा	तहसील करैरा एवं नरवर	<p>(1) सिविल मामले जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>(2) हिन्दू विवाह अधिनियम तथा मुस्लिम विधि, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत संस्थित मामले जो तहसील करैरा एवं नरवर क्षेत्र से उद्भूत हों।</p> <p>(3) मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र करैरा, अमोला, दिनारा, नरवर एवं सीहोर के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत मृत्यु संबंधी क्लेम प्रकरण छोड़कर समस्त क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>(4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(5) तहसील करैरा में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेश से उत्पन्न नियमित एवं प्रकीर्ण सिविल अपीलें।</p> <p>(6) गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली कार्यवाहियां/वाद।</p> <p>(7) हिन्दू दत्तक भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली कार्यवाहियां/वाद।</p> <p>(8) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रोबेट या प्रशासन पत्र संबंधी मामले (भाग-10 को छोड़कर)।</p> <p>(9) प्रोविन्शियल इन्सोल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत प्रकरण जिनका मूल्यांकन रु 50,000-00 से अधिक है।</p> <p>(10) तहसील करैरा पर पदस्थ रहे जिला न्यायाधीश, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां तथा क्लेम प्रकरणों के भुगतान संबंधी कार्यवाहियां।</p>

— 6 —

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
			<p>(11) अन्य सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(12) को—ऑपरेटिव सोसायटी एकट के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण।</p> <p>(13) लघुवाद जिनका मूल्य 500 से ऊपर परन्तु रूपये 1000 से अधिक नहीं तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन/प्रकीर्ण सिविलवाद/ कार्यवाहियां।</p> <p>(14) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत फाइल होने वाले रेफरेंस।</p> <p>(15) आर्बिट्रेशन एण्ड कॉसिलिएशन एकट—1996 के अंतर्गत तहसील करैरा एवं नरवर क्षेत्र के उद्भुत वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित द्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार के बाहर हों एवं अन्यथा बाधित न हों।</p>
13	(श्री देवीलाल सोनिया) द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा	तहसील करैरा एवं नरवर	<p>(1) रूपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रूपये) से अधिक मूल्यांकन के सिविल वाद तथा इनसे उत्पन्न प्रकीर्ण सिविल वाद एवं प्रवर्तन मामले।</p> <p>(2) हिन्दू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>(3) मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र करैरा, अमोला, दिनारा, नरवर एवं सीहोर के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत समस्त मृत्यु संबंधी क्लेम प्रकरण एवं इनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>(4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(5) तहसील करैरा में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेश से उत्पन्न नियमित एवं प्रकीर्ण सिविल अपीलें।</p>
14	(श्री सज्जन सिंह सिसोदिया) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी, पोहरी एवं बैराड़	<p>(1) सिविल वाद जिनका मूल्य रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रूपये) से अधिक परन्तु रूपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रूपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (माह जनवरी से जून तक)</p> <p>(2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(3) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(4) जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील पोहरी पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>(5) लघुवाद जिनका मूल्य रूपये 201 से 500 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां।</p> <p>(6) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत उत्पन्न उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले।</p> <p>(7) प्रोविन्शियल इन्सौल्वेंसी एकट 1920 के अंतर्गत प्रकरण जिनका मूल्यांकन रूपये 50000–00 से अधिक न हो।</p> <p>(8) म०प्र० नगर पालिका अधिर० 1961 की धारा 172 के अंतर्गत फाइल की जाने वाली अपीलें।</p>

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
15	(श्री जितेन्द्र मेहर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी तथा पोहरी एवं बैराड	(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (3) सिविल वाद जिनका मूल्य रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रूपये) से अधिक परन्तु रूपया 1,00,00,000 (एक करोड़ रूपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (माह जुलाई से दिसम्बर तक)
16	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय शिवपुरी	राजस्व तहसील शिवपुरी की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायतें।	(1) ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के शेड्यूल-2 के अंतर्गत आने वाले समस्त सिविल मामले एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।
17	(सुश्री नेहा प्रधान) अतिथि व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।
19	द्वितीय अतिथि व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	—	(रिक्त न्यायालय)
20	(श्रीमती श्वेता मिश्रा,) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।
21	(श्री अमित प्रताप सिंह) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (3) सिविल वाद जिनका मूल्य रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रूपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले (माह जनवरी से अप्रैल तक)। (4) लघुवाद जिनका मूल्य रूपये 200 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (5) जिला मुख्यालय शिवपुरी पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।
22	(श्रीमती अंशुल मंगल निगम) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।

— 8 —

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
23	(श्रीमती रूपम तोमर) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	<p>(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(3) सिविल वाद जिनका मूल्य रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रूपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले (माह मई से अगस्त तक)।</p>
24	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	(रिक्त न्यायालय)
25	(श्रीमती सुनीता पचौरिया) षष्ठ्म व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	तहसील शिवपुरी	<p>(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(3) सिविल वाद जिनका मूल्य रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रूपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले (माह सितम्बर से दिसम्बर तक)।</p>
26	(श्री महेश कुमार वर्मा) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा	तहसील करैरा एवं नरवर	<p>(1) तहसील नरवर के क्षेत्राधिकार से संबंधित सिविल वाद जिनका मूल्य रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रूपये) से अधिक परन्तु रूपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रूपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (माह जनवरी से जून तक)</p> <p>(2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(3) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(4) लघुवाद जिनका मूल्य रूपये 201 से 500 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां।</p> <p>(5) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत उत्पन्न उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के प्रकरण।</p> <p>(6) प्रोविन्शियल इन्सौल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत प्रकरण जिनका मूल्यांकन रूपये 50,000—00 से अधिक न हो।</p> <p>(7) म0प्र0 नगर पालिका अधिभो 1961 की धारा 172 के अंतर्गत फाइल की जाने वाली अपीलें।</p> <p>(8) तहसील करैरा पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।</p>
27	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय करैरा	राजस्व तहसील करैरा की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायतें	<p>(1) ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के शेड्यूल-2 के अंतर्गत आने वाले समस्त सिविल मामले एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।</p>
28	(श्रीयुत श्रीकृष्ण बुखारिया) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा	तहसील करैरा	<p>(1) तहसील करैरा के क्षेत्राधिकार से संबंधित सिविल वाद जिनका मूल्य रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रूपये) से अधिक परन्तु रूपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रूपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(2) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(3) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p>

— 09 —

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
29	(श्रीमती कमला गौतम) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा	तहसील नरवर	(1) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें। (2) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (3) तहसील नरवर के क्षेत्राधिकार से संबंधित सिविल वाद जिनका मूल्य रुपये 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) से अधिक परन्तु रुपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।(माह जुलाई से दिसम्बर तक)
30	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड करैरा	—	(रिक्त न्यायालय)
31	(सुश्री मोनिका यादव) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, करैरा	तहसील करैरा एवं नरवर	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) तक हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) लघुवाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 200 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (3) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें। (4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (5) तहसील करैरा पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।
32	(श्री अविनाश छारी) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पोहरी	तहसील पोहरी एवं बैराड़	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) तक हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) लघुवाद जिनका मूल्य 0 से रुपये 200 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (3) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें। (4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (5) तहसील पोहरी पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।
33	(श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	तहसील पिछोर एवं खनियाधाना	(1) सिविल वाद जिनका मूल्य रुपये 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) से अधिक परन्तु रुपया 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। (2) लघुवाद जिनका मूल्य 201 से रुपये 500 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। (3) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत उत्पन्न उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले। (4) प्रोविश्नियल इन्सौल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत मामले जिनका मूल्यांकन रुपये 50,000–00 से अधिक न हो। (5) म0प्र0 नगर पालिका अधिग0 1961 की धारा 172 के अंतर्गत फाइल की जाने वाली अपीलें।

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
			<p>(6) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(7) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(8) तहसील पिछोर एवं खनियाधाना पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।</p>
34	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	—	(रिक्त न्यायालय)
35	(सुश्री नेहा प्रजापति) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पिछोर	तहसील पिछोर	<p>(1) सिविल वाद जिनका मूल्य 0 से रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रूपये) तक हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(2) लघुवाद जिनका मूल्य 0 से रूपये 200 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां।</p> <p>(3) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(5) तहसील पिछोर पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।</p>
36	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोलारस	—	(रिक्त न्यायालय)
37	(श्री अनुराग सिंह कुशवाह) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कोलारस	तहसील कोलारस एवं बद्रवास	<p>(1) सिविल वाद जिनका मूल्य रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रूपये) से अधिक परन्तु रूपये 1,00,00,000 (एक करोड़ रूपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(2) लघुवाद जिनका मूल्य रूपये 201 से 500 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां।</p> <p>(3) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत उत्पन्न उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले।</p> <p>(4) प्रोविन्शियल इन्सौल्वेंसी एकट 1920 के अंतर्गत मामले जिनका मूल्यांकन रूपये 50,000—00 से अधिक न हो।</p> <p>(5) मोप्र० नगर पालिका अधि० 1961 की धारा 172 के अंतर्गत फाइल की जाने वाली अपीलें।</p> <p>(6) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(7) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(8) तहसील कोलारस पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।</p>
38	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कोलारस	—	(रिक्त न्यायालय)

— 11 —

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
39	(सुश्री आरती रतौनिया) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कोलारस के अतिरिक्त न्यायाधीश, कोलारस	तहसील कोलारस एवं बदरवास	<p>(1) सिविल वाद जिनका मूल्य 0 से रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) तक हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(2) लघुवाद जिनका मूल्य रूपये 200 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां।</p> <p>(3) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(5) तहसील कोलारस पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।</p>
40	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खनियाधाना	—	(रिक्त न्यायालय)
41	(श्री भूपेन्द्र तिवारी) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठखण्ड, खनियाधाना	तहसील खनियाधाना	<p>(1) सिविल वाद जिनका मूल्य 0 से रूपये 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) तक हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(2) लघुवाद जिनका मूल्य 0 से रूपये 200 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां।</p> <p>(3) सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावें।</p> <p>(4) इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले।</p> <p>(5) तहसील खनियाधाना पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां।</p>

ब— मैं, दीपक गुप्ता, प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी एतद् द्वारा, मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15, 18 एवं 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित करते हुये, यह आदेश देता हूँ कि नीचे दी गयी सारिणी के कालम कं० 2 में दर्शाये गये न्यायिक अधिकारी की किसी प्रकार की अनुपस्थिति अथवा अवकाश काल में नीचे दी गयी सारिणी के कालम कं० 03, 04 एवं 05 में क्रमशः वर्णित न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक सिविल कार्य का निपटारा करेंगे।

क्रं.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटायेंगे।			
1	2	3	4	5	
01	(श्री दीपक गुप्ता) प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री अजय कुमार सिंह) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री रामविलास गुप्ता) चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी	

—12—

क्रं.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटायेंगे।		
1	2	3	4	5
02	(श्री अजय कुमार सिंह) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री रामविलास गुप्ता) चतुर्थ जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री विवेक पटेल) पंचम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी
03	(श्रीमती दीपाली शर्मा) द्वितीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री अजय कुमार सिंह) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री विवेक पटेल) पंचम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री अमित कुमार गुप्ता) सप्तम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी
04	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री अजय कुमार सिंह) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री रामविलास गुप्ता) चतुर्थ जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री अमित कुमार गुप्ता) सप्तम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी
05	तृतीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विवेक पटेल) पंचम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री अमित कुमार गुप्ता) सप्तम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री रामविलास गुप्ता) चतुर्थ जिला न्यायाधीश, शिवपुरी
06	(श्री रामविलास गुप्ता) चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विवेक पटेल) पंचम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री अमित कुमार गुप्ता) सप्तम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी
07	(श्री विवेक पटेल) पंचम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री रामविलास गुप्ता) चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री अमित कुमार गुप्ता) सप्तम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी
08	(श्री अमित कुमार गुप्ता) सप्तम जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विवेक पटेल) पंचम जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	(श्री रामविलास गुप्ता) चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी	(श्री विवेक शर्मा) प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी
9	(श्री देवीलाल सोनिया) द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा	(श्री प्रदीप कुशवाह) प्रथम जिला न्यायाधीश करैरा	(श्री रमेश कुमार मुरारी लाल भगवती) जिला न्यायाधीश पिछोर	(श्री हरिओम अतलसिया) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पिछोर

क्रं.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटायेंगे।		
10	(श्री प्रदीप कुशवाह) प्रथम जिला न्यायाधीश करैरा	(श्री देवीलाल सोनिया) द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा	(श्री हरिओम अतलसिया) अति० जिला न्यायाधीश पिछोर	(श्री रमेश कुमार मुरारी लाल भगवती) जिला न्यायाधीश पिछोर
11	(श्री रमेश कुमार मुरारी लाल भगवती) जिला न्यायाधीश पिछोर	(श्री हरिओम अतलसिया) अति० जिला न्यायाधीश पिछोर	(श्री देवीलाल सोनिया) द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा	(श्री प्रदीप कुशवाह) प्रथम जिला न्यायाधीश करैरा
12	(श्री हरिओम अतलसिया) अति० जिला न्यायाधीश पिछोर	(श्री रमेश कुमार मुरारी लाल भगवती) जिला न्यायाधीश पिछोर	(श्री प्रदीप कुशवाह) प्रथम जिला न्यायाधीश करैरा	(श्री देवीलाल सोनिया) द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा
13	(श्री सज्जन सिंह सिसौदिया) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(श्री जितेन्द्र मेहर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(सुश्री नेहा प्रधान) अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(श्री अनुराग सिंह कुशवाह) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस
14	(श्री जितेन्द्र मेहर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्री सज्जन सिंह सिसौदिया) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(सुश्री नेहा प्रधान) अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(श्री अनुराग सिंह कुशवाह) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस
15	(सुश्री नेहा प्रधान) अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(श्री जितेन्द्र मेहर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्री सज्जन सिंह सिसौदिया) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(श्री अनुराग सिंह कुशवाह) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस
16	(श्रीमती श्वेता मिश्रा) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्री अमित प्रताप सिंह) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्रीमती रूपम तोमर) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्रीमती अंशुल मंगल निगम) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी
17	(श्री अमित प्रताप सिंह) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्रीमती रूपम तोमर) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्रीमती सुनीता पचौरिया) षष्ठ्म व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(श्रीमती अंशुल मंगल निगम) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी

क्रं.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एवं अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटायेंगे।		
27	(सुश्री नेहा प्रजापति) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा) अतिः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्री भूपेन्द्र तिवारी) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खनियांधाना	(सुश्री मोनिका यादव) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, करैरा
28	(श्री अनुराग सिंह कुशवाह) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस	(श्री जितेन्द्र मेहर) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्री सज्जन सिंह सिसौदिया) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी	(सुश्री नेहा प्रधान) अतिः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी
29	(सुश्री आरती रत्नानिया) प्रथम अतिः व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कोलारस	(श्री अनुराग सिंह कुशवाह) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खण्ड कोलारस	(श्री अमित प्रताप सिंह) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी	(श्रीमती रूपम तोमर) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी
30	(श्री भूपेन्द्र तिवारी) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खनियांधाना	(सुश्री नेहा प्रजापति) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्री अमनदीप सिंह छाबरा) अतिः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(सुश्री मोनिका यादव) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, करैरा

नोट :-

01— उपरोक्त तालिका के क्रमांक 3, 4 व 5 पर अंकित न्यायिक अधिकारीगण के अनुपस्थिति/अवकाश पर होने की स्थिति में जिला मुख्यालय/ तहसील मुख्यालय के वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश के पास अत्यावश्यक कार्य का प्रभार रहेगा।

02— जिला मुख्यालय एवं तहसील करैरा, पिछोर, पोहरी, कोलारस, खनियांधाना पर अपर सत्र न्यायालय/फास्टट्रेक, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालयों से संबंधित आनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां उन्हीं न्यायिक अधिकारीगण द्वारा संपादित की जावेगीं जिन्हें रिक्त न्यायालयों का प्रभार सौंपा गया है।

(दीपक गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी (म.प्र.)